



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 259 राँची, सोमवार,

6 जून, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

24 मई, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० साहेबगंज (क्षतिपूरक वनरोपण)-24/2022-1710(5)/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-26.04.2022 में मद संख्या-12 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में साहेबगंज जिलान्तर्गत अंचल-बड़हरवा एवं राजमहल के मौजा-मयुरकोला, तीनपहाड़ एवं गुनिहारी के विभिन्न थाना संख्या, खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या में स्थित कुल रकबा- 147.37 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म- पहाड़ एवं नाला भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-I) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 की कंडिका-2(I) के अनुसार निर्धारित दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य निर्धारित दर पर संगणित सलामी की राशि 21,80,30,702/- (इक्कीस करोड़ अस्सी लाख तीस हजार सात सौ दो) रुपये तथा सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि 27,25,38,400/- (सताईस करोड़ पच्चीस लाख अड़तीस हजार

चार सौ) रुपये एवं लगान का 145 प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 39,51,80,684/- (उनचालीस करोड़ इक्यावन लाख अस्सी हजार छः सौ चौरासी) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 88,57,49,786/- (अठ्ठासी करोड़ संतावन लाख उनचास हजार सात सौ छियासी) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-II) की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WBPDCL), पचुवाड़ा नॉर्थ कॉल ब्लॉक के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।
- ii. उपायुक्त, साहेबगंज प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।
- iii. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, साहेबगंज यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- iv. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- v. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- vi. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-।

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित रकबा(ए०में)	भूमि का किस्म	मौजा थाना सं०
1	02/2021-22	बड़हरवा	मयूरकोला	208	96	760	31	पहाड़
2	03/2021-22	राजमहल	तीनपहाड़	140	54	185	51.00	पहाड़
						247	+ 40.05 91.05	
3	02/2021-22	राजमहल	गुनिहारी	58	430	70	2.10	नाला
						1292	+ 23.22 25.32	
कुल-							147.37	

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र.	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा(ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में) बाजार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	व्यवसायिक वार्षिक लगान (सलामी का 5 %) (रूपये में)	वार्षिक लीज़ रेंट का पूंजीकृत मूल्य(लगान X 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मूल्य(लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/2021-22	मयूरकोला	31	614300	19043300	952165	23804125	34515981	77363406
2	03/2021-22	तीनपहाड़	91.05	2035000	185286750	9264338	231608450	335832253	752727453
3	02/2021-22	गुनिहारी	25.32	541100	13700652	685033	17125825	24832450	55658927
कुल-			147.37		218030702	10901536	272538400	395180684	885749786

अर्थात् 88,57,49,786/- (अठासी करोड़ संतावन लाख उनचास हजार सात सौ छियासी) रुपये मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।
